न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

(आर0सी0 ढेनवाल , आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 64 / 2019

प्रविष्टि दिनांक 16–9–2019

लोकेश सिंह मीना, अध्यक्ष आदर्श सरस्वती महिला शिक्षा एंव ग्रामीण विकास समिति प्लाट नं0–5 एच0एच0 कालोनी बमोर रोड–टोंक

–अपीलाण्ट

बनाम

1–मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक
2–सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–।। ग्रामीण प्रकोष्ठ, टोंक
3–अधिशाषी अभियन्ता अभियांत्रिकी जिला परिषद टोंक
4–परियोजना अधिकारी लेखा जिलापरिषद ग्रामीण वि. प्रो. टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अधीन प्रारूपसं0 1 नियम 83 के तहत प्रथम अपील

उपस्थिति :

(1) श्री वसन्त कुमार जैन एडवोकेट – अपीलान्ट
(2) श्री मुरारी लाल मीना, अधिशाषी अभियन्ता अभियांत्रिकी, जिला परिषद टोंक–रेस्पोडेण्ट्स
(3) श्री नन्द किशोर बैरवा, परियोजना अधिकारी लेखा, जिला परिषद टोंक–रेस्पोडेण्ट्स
(4) श्री लक्ष्मीनारायण कोली, सहायक लेखा अधिकारी ग्रेड–।।, जिला परिषद टोंक–रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 16–9–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी संस्था द्वारा ऑनलाईन टेण्डर डाक्यूमेंन्ट भरे गये थे जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक द्वारा अपीलार्थी की संस्था को अनुभवनहीन मानते हुए अपीलार्थी की फर्म का फार्म पर मुल्यांकन में अनुभव शून्य मानते हुए सलेक्शन नहीं किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक के आदेश लेखा / 2019–20 / 353 दिनांक 9–8–2019 से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक की पत्रावली तलब कर रिपोर्ट प्रापत की गई तथा अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बयान किया कि अपीलार्थी संस्था ने मैसन ट्रेनिंग करवाने वास्ते टेण्डर ऑन लाईन भरा गया था जिसमें नियमानुसार सम्पूर्ण दस्तावेज ऑनलाईन संलग्न किये गये थे लेकिन मुल्यांकन कमेटी के सदस्यगण रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जॉच के समय फोटो कॉपी साफ नजर नहीं आने का कारण या त्रूटिवश कुछ वर्क आर्डर एंव अनुभव प्रमाण पत्र देखने से अपीलार्थी को वंचित कर दिया है, जिस कारण अपीलार्थी की संस्था को टेक्निकल पास नहीं किया गया है तथा जिस कम्पनी ओर संस्था को पास किया जा रहा है वह राजस्थान की नहीं है तथा उनका टोंक जिले में कोई ट्रेनिंग सेंन्टर आफिॅस भी नहीं है। भास्कर फाउन्डेशन का CSDCI से रजिस्ट्रेशन ही 30–3–2019 को हुआ है यानि 4 माह पहले हुआ है तो तीन साल पहले का अनुभव कहॉ से मान लिया गया। अगर माना गया है तो सही नहीं है अर्थात भास्कर फाउन्डेशन द्वारा लगाये गये अनुभव आर्डर ही संदेहजनक है। इस कारण भी अपीलार्थी संस्था द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकाार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी संस्था द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोंक के आदेशानुसार मेसन ट्रेनिंग का कार्य वर्ष 2008 से 2012 तक टोंक, दौसा, अलवर में कार्य करने का अनुभव है जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

Sr. No.	Work Order No./Date	Department Name	Page No	No. of Trainees
1.	F(18) TCS 1201-1239 Dated 13.06.2008	Chief Officer Tonk	232, 307, 308, 309	225
2.	F(29) TSC 09-10-371 Dated 09.07.2019	Chief Officer Tonk	233	225
3.	Shree A.K. Construction 2/3/2016	Shree A.K. Construction	302, 304	300
4.	F(29) TCS 2164/2180 Dated 01.08.2008	Chief Officer Tonk	234	255
5.	TCS /596-610 Dated 19.08.2009	Chief Officer Tonk	235	255
6.	TCS /919/929 Dated 24.09.2009	Chief Officer Tonk	236	255
7.	TCS /7088-7116 Dated 27.03.2006	Chief Officer Alwar	238	300
8.	TCS /7088-7116 Dated 31.08.2009	Chief Officer Dausa	220-221	150
9.	Saraswati Niwai Dated 30/12/2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	288, 290	2772
10.	Shiv ITI Dated28.2.2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	289	1134
11.	Saraswati ITI Malpura Dated 30/12/2008 DGET 6/20/49/2006-TC	DGET India Govt	291	756
12.	M/s Kailash Dated 25/12/2014 to	M/s Kailash	295	250

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

	14/01/2019 Tonk			
13.	Banwari lal Govind Prasad Dated 25/06/2015 to 2019	Banwari lal Govind Prasad	299	250
14.	M.K. Construction Dated 20/06/2015 to 2019	M.K. Construction	305	250
15.	SWRPD – 3534 Dated 09/09/2013	Chief Engineer Water Resources Department	148-169	542
16.	PWD-215 Dated 14/05/2018	Chief Engineer (PPP) PWD	170-174	

अपीलार्थी की संस्था पिछले 25 वर्षो से कार्य कर रही है संस्था का टर्नओवर प्रतिवर्ष 14 करोड़ रूपये हैं तथा संस्था के पास टोंक जिले में टोंक, निवाई, मालपुरा, उनियारा देवली, पीपलू एंव समस्त ब्लॉक में आई0टी0आई0 कॉलेज एंव ट्रेनिंग सेन्टर 10 वर्षो से संचालित हो रहे हैं तथा समस्त भवन एंव साजो सामान, मानव संसाधन उपलब्ध हैं। अपीलार्थी की संस्था CSDCI , एंव DGET से मान्यता प्राप्त है तथा संस्था द्वारा मेशन टेनिंग करने का राजकीय अनुभव जिला परिषद टोंक,दौसा, अलवर जिला एंव आई0डब्लू0आर0 एम0राज्य जल संसाधन विभाग के आदेशानुसार हैं। जिला नागोर पाली आदि में भी हमारी संस्था ने मेसन टेंनिंग देने का कार्य सफलतापूर्वक किया है जिनका वर्क आर्डर भी ऑन लाईन टेण्डर के दौरान लगाया गया है, जिनके भी नम्बर नहीं दिये गये इस कारण अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी संस्था ने प्राईवेट लि0 कम्पनियों एंव फर्मो में कार्यरत अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देकर कौशलपूर्ण बनाया है जिनके प्रमाण–पत्र भी ऑनलाईन टेण्डर में संलग्न है। जिनके भी नम्बर नहीं दिये गये इस कारण भी आलोच्य आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा ऑन लाईन टेण्डर भरते वक्त मूल वर्क आर्डर ही ऑनलाईन किये थे क्योंकि टीयूआर एंव अनुबन्ध की प्रतियॉ लगाने से पृष्ठ अधिक हो रहे थे यानि फाईल काफी मोटी हो गई थी, इस कारण ऑन लाईन अपलोड नहीं हो रहा था इस कारण अपीलार्थी शेष प्रतियॉ अपील के साथ संलग्न प्रस्तुत कर रहा है। सरकार की मंशा एंव टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार राजस्थान राज्य की रजिस्टर्ड एंव स्थानीय संस्था को प्राथमिकता देने का उल्लेख है। अतः अपीलार्थी संस्था टोंक जिले की स्थानीय संस्था है ओर टेण्डर गाईड लाईन के अनुसार सम्पूर्ण अनुभव रखती है किन्तु इन तथ्यों पर रेस्पोडेण्ट्स द्वारा कोई गौर नहीं कर भारी विधिक त्रूटि की है, इस कारण भी रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जारी आदेश निरस्त फरमाया जाकर सरकार की मंशा एंव टेण्डर में अंकित पैरा के अनुसार अपीलार्थी फर्म के टेण्डर फार्म का पुनः अवलोकन करने के आदेश फरमाये जावें।

अपीलार्थी के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेण्ट्स अधिकारीगण ने तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया एंव तर्क दिया कि 25 वर्ष के अनुभव का इस निविदा के तकनीकी मापदंडो से कोई संबंध नही है। निविदा के लिए संस्था का CSDCI पंजीकरण होना एवं मूल्यांकन मानकों के अनुसार तीन साल का मैसन प्रशिक्षण का अनुभव होना चाहिए। फोटोकॉपी साफ नजर नहीं आने के कारण या त्रुटिवश कुछ वर्क ऑर्डर एवं अनुभव प्रमाण–पत्र नही देखने के कारण अपीलार्थी को तकनीकी रूप से वंचित नही किया गया हैं।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

निविदा में सफल संस्था भास्कर फाउंडेशन का जयपुर में कार्यालय है, जिसका उल्लेख संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में किया है। संस्था के पूर्व के रजिस्ट्रेशन की जानकारी बाबत कार्यालय जिला परिषद टोंक के पत्र कमांक 374 दिनांक 26.08.2019 द्वारा लिखा गया। जिसके कम में संस्था द्वारा अपने वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक के CSDCI पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है। अपीलार्थी फर्म द्वारा उपलब्ध करवायें गये सभी राजकीय संस्थानों के अनुभव 03 वर्ष से पूर्व के है एवं ना ही उल्लेखित कार्यादेशों मे मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख है। निविदा में मूल्यांकन में पिछले तीन वर्षो के अनुभव पर अंक प्रदान किये जाने थे। अतः फर्म को अंक नही देकर, तकनीकी रूप से सफल नही माना है। बहस के दौरान अपीलार्थी संस्था द्वारा भी माना गया कि उसकों पिछले तीन वर्षो में मैसन से संबंधित राजकीय कार्य का अनुभव नही है एवं ना ही उसके द्वारा इसके प्रमाण पत्र निविदा के साथ अपलोड किये है।

अपीलार्थी संस्था द्वारा CSDCI पंजीकरण की अस्पष्ट प्रति निविदा प्रपत्र के साथ उपलब्ध करवायी है। संस्था से कार्यालय जिला परिषद टोंक के पत्र कमांक 377 दिनांक 26.08.2019 एवं पत्र कमांक 386 दिनांक 27.08.2019 द्वारा दिनांक 29.08.2019 शाम 6.00 बजे तक अपनी संस्था के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की प्रति उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया था। उक्त पत्रों को संस्था को जरिये रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल, वाटस एप द्वारा भिजवाया गया है एवं दूरभाष पर भी इसकी सूचना दी गयी है। परन्तु संस्था द्वारा आदिनांक तक इस बारे में कोई दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये है। बहस के दौरान भी अपीलार्थी संस्था से CSDCI पंजीकरण की प्रति मांगी गयी परन्तु संस्था द्वारा तब भी पंजीकरण की प्रति उपलब्ध नही करवायी गयी। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों में मैसन प्रशिक्षण का कोई उल्लेख नही है। एवं संलग्न दस्तावेज भी पिछले तीन वर्षो से संबंधित नही है। जो कि निविदा के मूल्यांकन के तकनीकी मापदंडो के अनुरूप नही है। प्राईवेट लिमिटेड कंपनियों एवं फर्मो के प्रमाण पत्रों को इस निविदा में उपापन समिति द्वारा मान्य नही किया गया है क्योंकि यह कंपनियॉ एवं फर्म द्वारा दिये गये प्रशिक्षण CSDCI के मानकों के अनुरूप नही होंते है। निविदा के साथ संलग्न दस्तावेजों में किसी में भी मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख नही था। एवं दूसरी संस्था द्वारा कम पृष्ठों पर मैसन प्रशिक्षण के अन्य राज्य सरकारो के दस्तावेज मय कार्यादेशों के उपलब्ध करवायें है। साथ ही संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Tech-3B की प्रति भी रिक्त ही संलग्न की है, जिसमें कि निविदा मूल्यांकन संबंधी विवरण अंकित किया जाना था एवं यह निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक थी। Tech-3B की सूचना के आधार पर तकनीकी मूल्यांकन किया जाना था। निविदा प्रपत्र के परिशिष्ठ–4 के अनुसार संस्था का राजस्थान की भौगोलिक सीमा में कार्यालय होना चाहिए। निविदा में सफल संस्था का जयपुर में कार्यालय है, जिसके बारे में संस्था द्वारा अपने निविदा प्रपत्र में उल्लेख किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस को सुना एंव पत्रावली पर आये दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली एंव प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन/जवाब के अवलोकन से निविदा तकनीकी रूप से निरस्त किये जाने के सभी कारणों को अपलोड किये गये दस्तावेजों से सत्यापित पाया गया। तकनीकी निविदा प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों को अपीलार्थी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से उचित प्रारूप में भरकर प्रस्तुत नही किया गया एवं ना ही निविदा के साथ चाहे गये सम्पूर्ण दस्तावेज अपलोड किये। मैसन प्रशिक्षण से संबंधित उक्त निविदा के लिए तकनीकी रूप से सफल होने का मुख्य आधार संस्था का **CSDCI** से मान्यता /रजिस्टर्ड होना एवं पिछले तीन वर्षो का मैसन प्रशिक्षण का अनुभव होना था। अपीलार्थी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र

जिला कलेक्टर
टोंक

जिला कलेक्टर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

के साथ **CSDCI** से मान्यता /रजिस्ट्रेशन की अस्पष्ट प्रति संलग्न की थी एवं जिला परिषद कार्यालय के पत्रांको एवं बहस के दौरान उक्त प्रमाण पत्र अपनी मान्यता के स्पष्ट दस्तावेज/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध नही करवायें गये। आज निर्णय दिनांक 16.09.2019 को संस्था द्वारा निविदा से संबंधित अनुभव एवं निविदा के साथ अपलोड किये जाने वाले कुछ दस्तावेजों की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की हैं जिसे निविदा के साथ ही अपलोड किया जाना अपेक्षित था जो नियमानुसार अब प्रस्तुत किया जाना उचित नहीं है। निविदा मूल्यांकन के लिए मुख्य आधार निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न Tech-3B को भी अपीलार्थी संस्था द्वारा रिक्त ही निविदा प्रपत्र. के साथ संलग्न किया गया है। अपीलार्थी फर्म द्वारा निविदा प्रपत्र के संलग्न दस्तावेजों में संलग्न कार्यादेश में किसी में भी मैसन प्रशिक्षण का उल्लेख नही हैं एवं ना ही पिछले तीन वर्षो में मैसन प्रशिक्षण से संबंधित राजकीय कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद टोंक के पत्र कमांक 185 दिनांक 10.07.2019 द्वारा जारी निविदा में पत्र कमांक 353 दिनांक 09.08.2019 द्वारा निविदा देने एवं अनुबंध के संबंध में की गयी कार्यवाही नियमानुसार उचित एंव न्याय संगत प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

(आर0सी0 ढेनवाल)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner